



सत्यमेव जयते

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग National Commission for Scheduled Tribes

(भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अंतर्गत एक संवैधानिक निकाय)
(A Constitutional body under Article 338A of the Constitution of India)

नोटिस

फा. सं.: NCST/DEV-1541/JH/5/2023-ESDW

दिनांक: 19.04.2023

सुश्री माधवी मिश्रा,
उपायुक्त-सह-जिला मजिस्ट्रेट,
जिला-रामगढ़
डीसी कार्यालय, छतर मांडू, रामगढ़
झारखण्ड
ई-मेल: dc-ramgarh@gov.in

श्री पी. एम. प्रसाद,
अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक,
सेंट्रल कोलफील्ड लिमिटेड,
दरभंगा हाउस, सेंट्रल कोलफील्ड लिमिटेड मुख्यालय,
कचहरी रोड, मोराबाड़ी,
रांची-834029, झारखण्ड
ई-मेल: cmd.ccl.cil@coalindia.in

विषय: भूमि अधिग्रहण कर मुआवजा नहीं देने के संबंध में श्री रमेश करमाली, अध्यक्ष, ऑल इण्डिया शेडयुल्ड कास्ट/शेडयुल्ड ट्राईब्स/बैंकवर्ड क्लासेस एम्प्लॉइज को-ऑर्डिनेशन कौन्सिल, गांव व पोस्ट सांडी, थाना रजरप्पा, जिला रामगढ़, झारखण्ड- 829150 का दिनांक 14.03.2023 का अभ्यावेदन।

चूंकि राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग को श्री रमेश करमाली से दिनांक 14.03.2023 में एक याचिका/शिकायत/सूचना प्राप्त हुई है (प्रति संलग्न), और आयोग ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अंतर्गत उसे प्रदत्त शक्तियों का अनुसरण करते हुए इस मामले का अन्वेषण/जांच करने का निश्चय किया है। अतः आपसे एतद्वारा अनुरोध किया जाता है कि आप सूचना के प्राप्त होने के 15 दिनों के भीतर अधोहस्ताक्षरी को डाक से या वैयक्तिक रूप से उपस्थित होकर या किसी अन्य संचार साधन से संबंधित आरोपों/मामलों और सूचनाओं पर की गई कार्रवाही से सम्बंधित सूचना प्रस्तुत करें।

कृपया ध्यान रखें कि यदि नियत अवधि में आयोग में आपका उत्तर प्राप्त नहीं होता है तो आयोग भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अंतर्गत उसे प्रदत्त सिविल न्यायालय की शक्तियों का प्रयोग कर सकता है तथा वैयक्तिक रूप से या प्रतिनिधि के माध्यम से आयोग के समक्ष उपस्थित होने के लिए आपको 'समन' भी जारी कर सकता है।

संलग्न यथोपरि:

(डॉ. जयंत सरोदे)
निदेशक

प्रतिलिपि संलग्न:

1. श्री रमेश करमाली,
अध्यक्ष,
ऑल इण्डिया शेडयुल्ड कास्ट/शेडयुल्ड ट्राईब्स/बैंकवर्ड
क्लासेस एम्प्लॉइज को-ऑर्डिनेशन कौन्सिल,
गांव व पोस्ट सांडी, थाना रजरप्पा,
जिला रामगढ़, झारखण्ड- 829150

2. एन. आई. सी. अनुभाग, आयोग की वेबसाइट पर अपलोड
करने हेतु।